प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक-11.09.2026

थाना हरैया पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कोहले समय माता मंदिर में हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी गए दान पात्र, छोटा-बड़ा तीन लोटा, बड़ा-मध्यम आकार का नौ घंटा व छोटे आकार की बाईस घंटी व कुल रुपये 2,342/- (रुपये 1,342 दान पेटिकासे व रुपये 1,000/- नगद) बरामद किया गया |

थाना हरैया पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कोहले समय माता मंदिर में हुए चोरी के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0-253/2026 धारा-305(D) BNS की घटना का सफल अनावरण करते हुए **संबंधित 02 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-**रोहित शर्मा पुत्र काली प्रसाद शर्मा, **2-**सुबाष गिरी पुत्र रामदेव को दिनांक-10.09.2026 को समय करीब 23:45 बजे गिरफ्तार कर **उनके कब्जे से चोरी गए 1-**दो दान पात्र, तीन बड़ा व दो छोटा पीले धातु का लोटा, **2-**एक बड़ा वाला घण्टा पीले धातु का वजन 11 किलो 550 ग्राम, **3-**आठ मध्यम आकार का घण्टा पीले धातु का वजन 6 किलो 200 ग्राम, **4-**22 घण्टी छोटे आकार का पीले धातु का वजन 5 किलो 300 ग्राम व रुपये 1,342/- दान पेटिका से व रुपये 1,000/- नगद बरामद किया गया |

गिरफ़्तारी/ बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-253/2026 धारा-305(D) BNS में धारा-317(2) BNS की वृद्धि कर अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- रोहित शर्मा पुत्र काली प्रसाद शर्मा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी एकडंगी थाना हरैया जनपद बस्ती |

2- सुबाष गिरी पुत्र रामदेव उम्र करीब 32 वर्ष निवासी थाना खास (गोसाई पुरवा) थाना हरैया जनपद बस्ती |

बरामदगी का विवरण-

1- चोरी गए दो दान पात्र, तीन बड़ा व दो छोटा पीले धातु का लोटा | **2-** एक बड़ा वाला घण्टा पीले धातु का वजन 11 किलो 550 ग्राम | **3-** आठ मध्यम आकार का घण्टा पीले धातु का वजन 6 किलो 200 ग्राम | **4-** बाईस घण्टी छोटे आकार का पीले धातु का वजन 5 किलो 300 ग्राम | **5-** रुपये 1,342/- दान पेटिका से व रुपये 1,000/- नगद |

घटना का संछिप्त विवरण-

थाना क्षेत्रान्तर्गत कोहले समय माता मंदिर में हुए चोरी के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0-253/2026 धारा-305(D) BNS की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक-10.09.2026 को मुखबिर ख़ास द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एस०बी० एकेडमी थाना खास के उत्तर तरफ निर्माणाधीन मकान के पश्चिम दिशा में स्थित गड्ढे के पास पहुंचा गया जहां तीन संदिग्ध व्यक्ति पुलिस बल को देखकर चोरी के सामान को वहीं छोड़कर भागने लगे जिन्हें थाना स्थानीय पुलिस बल द्वारा दौड़ाकर हिकमत अमली का प्रयोग करते हुए **संबंधित 02 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-**रोहित शर्मा पुत्र काली प्रसाद शर्मा, **2-**सुबाष गिरी पुत्र रामदेव को दिनांक-10.09.2026 को समय करीब 23:45 बजे गिरफ्तार कर **उनके कब्जे से चोरी गए 1-**दो दान पात्र, तीन बड़ा व दो छोटा पीले धातु का लोटा, **2-**एक बड़ा वाला घण्टा पीले धातु का वजन 11 किलो 550 ग्राम, **3-**आठ मध्यम आकार का घण्टा पीले धातु का वजन 6 किलो0 200 ग्राम, **4-**22 घण्टी छोटे आकार का पीले धातु का वजन 5 किलो0 300 ग्राम व रुपये 1,342/- दान पेटिका से व रुपये 1,000/- नगद बरामद किया गया, जहां गिरफ़्तारी/ बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-253/2026 धारा-305(D) BNS में धारा-317(2) BNS की वृद्धि कर अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग दिनांक-02.09.2026 को कोहले समय माता मंदिर से दान पात्र व कुछ तांबे के लोटे चोरी कर गाँव एकडंगी पंचायत भवन के पीछे झाड़ में रख दिये थे, जिसे आपस में बांटने हेतु दिनांक-10.09.2026 को आये थे कि आप लोगों द्वारा हम पकड़ लिए गए | हम लोगों का मुख्य सरगना मौके से अँधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया है, जिसके द्वारा चोरिया की जाती हैं, जिसने मंदिरो से कई घण्टिया चुराकर हम लोगों को दिया था जिसे हम लोग आज लाकर आपस में बांट रहे थे कि आप लोगों द्वारा हमें पकड़ लिया गया | बरामद रुपयों के बारे में उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगो ने समय माता मंदिर में कई लोटे चुराये थे जो तांबे व पीतल के थे जिसमें से लगभग 20 लोटे हम लोगों ने राहगीरों व हाइवे पर चलने वाले ट्रक ड्राइवरों को बेच दिया है जिससे प्राप्त पैसों में से खर्चे करने के बाद बचे पैसे हैं |

बरामद दान पात्र व घण्टियों के बारे में उनके द्वारा बताया गया कि दो पात्र कोहले के समय माता मंदिर से चुराये थे व एक घण्टा थानेश्वर मंदिर से चुराये थे एवं शेष तीस घण्टियां कुश गिरी द्वारा अलग-अलग मंदिरों से चुराकर लाया गया था जिन सारे सामानों को एकडंगी गांव के पंचायत भवन के पीछे झाड़ में रखा गया जिसे आज हम लोग आपस में बंटवारा कर रहे थे कि आप लोगों द्वारा हम दो लोगों को पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक हरैया संजय कुमार जनपद बस्ती।

2- उ०नि० दिनेश कुमार सिंह मय हमराह हे० का० वरुण राय, का० धर्मेन्द्र यादव थाना हरैया जनपद बस्ती।

3- उ०नि० सुरेन्द्र यादव, उ०नि० कामेश्वर मिश्रा मय हमराह का० अभिषेक वर्मा, का० आर्यप्रताप सिंह, वाहन चालक हे०का० दीपराज यादव थाना हरैया जनपद बस्ती।